

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-73/राजस्व/राहत/2016/273
प्रति,

रायपुर, दिनांक 7/03/2017

कलेक्टर,
जिला-रायपुर, सरगुजा, बस्तर,
राजनांदगांव, सूरजपुर, कोण्डागांव
धमतरी, छत्तीसगढ़,

विषय:-राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अर्न्तगत अनुदान सहायता हेतु आबंटन वर्ष 2016-17

संदर्भ:- कलेक्टर रायपुर का पत्र क्रमांक 44/राले/2016 दिनांक 30.01.2017 कलेक्टर सरगुजा का पत्र क्रमांक 1017/राजस्व/राहत/16, दिनांक 16.1.2017, एवं पत्र दिनांक 09.12.2016 कलेक्टर बस्तर का पत्र क्रमांक 01/राले/2016/दिनांक 14.12.2016 कलेक्टर धमतरी का पत्र क्रमांक 12199/राहत/5/2016 दिनांक 30.12.2016 कलेक्टर राजनांदगांव का पत्र क्रमांक 32/राहत/2016/7448/ दिनांक 29.12.2016 कलेक्टर कोण्डागांव का पत्र क्रमांक 3324/राजस्व/लेखा/2016 दिनांक 30.12.2016 एवं कलेक्टर सरगुजा का पत्र क्रमांक 5544/राहत/2016 दिनांक 28.12.2016

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिलों में दैवीय विपत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अर्न्तगत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत, के अर्न्तगत संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार रुपये 1502.45 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ दौ लाख पैतालिस हजार मात्र) विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षों के अर्न्तगत निम्न शर्तों के अधीन आबंटन सौंपा जाता है।

2. उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघु शीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अर्न्तगत किया जावे।
3. उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावें। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावें।
4. उक्त आबंटन के विरुद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 7 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक भिजवाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि आबंटन से अधिक राशि आहरण की जाती है, तो तत्काल मांगपत्र शासन को समायोजन हेतु भेजे।



5. उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2017 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 7/03/2017

पृ.क्रमांक एफ 1-73/राजस्व/राहत/2016/274
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर।
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर।
 3. संभागीय आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़।
 4. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
 5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नया रायपुर।
 6. जिला कोषालय अधिकारी रायपुर, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, सूरजपुर, कोण्डागांव धमतरी छत्तीसगढ़।
 7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 8. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर।
 9. स्टॉक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मांग संख्या-58 मुख्यशीर्ष 2245 के अंतर्गत जिलों को आबंटित वित्तीय वर्ष 2016-17

जिला	01-सूखा-101-नि: शुल्क सहायता-2018-नगददान-14 सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	02-बाढ़ आदि-101-निशुल्क सहायता-7-14 सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	02-बाढ़ आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक सहायता-7352 शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	02-बाढ़ आदि-113-म कर्तों की मरम्मत और पुर्ननिर्माण के लिये सहायता-7357 बाढ़ आदि में सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	02-बाढ़ आदि-114-किसानों की कृषि निविदियों के लिये सहायता-7357 बाढ़ आदि में सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	02-बाढ़ आदि-116-क्षेत्रीय स्त कुओं पंप सेटों आदि के मरम्मत के लिए सहायता-7357 बाढ़ आदि में सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	02-बाढ़ आदि-117-प शुओं की क्षति के लिये किसानों को सहायता-7357 बाढ़ आदि में सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	05-बाढ़ ओला/शिला वृष्टि-101-निशुल्क सहायता-747-ओलापीड़ितों को सहायक अनुदान-14 सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	08-अग्नि-101-निशुल्क सहायता-96-अग्नि पीड़ितों को सहायक अनुदान-14 सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	13-विशेष जीव जन्तु काटने से निशुल्क सहायता-2018-नगददान-14 सहायक अनुदान	13-विशेष जीव जन्तु काटने से निशुल्क सहायता-7729-खुबने से खदान घसकने से, रीस सिलेण्डर फउने से, बिजली मिलने से रूतु होने पर सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	80-सामान्य -102-क्षेत्रीय विपत्तियों का प्रबंध, विपत्ति प्रवण क्षेत्रों में आपत्तिक योजनाये-7355- आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिये आकस्मिक व्यय -04 - कार्यालय व्यय-008 - अन्य आकस्मिक व्यय	योग (राशि लाख रु में)	
2	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	
रायपुर	3	6	12	24	27	0.00	0.00	80	63	86	89	0.00	99	
सरगुजा	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	50.00	140.00	0.00	520.00	
बस्तर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	
राजनान्दागांव	0.00	0.00	60.00	40.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	170.00	
सूरजपुर	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	105.00	
कोण्डागाँव	74.00	0.00	63.00	13.31	0.00	0.00	7.50	20.00	43.00	20.00	180.00	0.00	477.81	
धमतरी	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	115.00	
योग	74.00	5.00	233.00	68.31	10.00	57.00	27.50	30.00	293.00	70.00	520.00	0.64	1502.45	

राशि रुपये पन्द्रह करोड़ दो लाख पैतालिस हजार मात्र

7/3/17

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग